ई-डिस्टिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील आवेदन क० मुजफफरनगर

231330030046653 025233005911 प्रमाणपत्र क०

जिला

जारी दिनांक: 27/07/2023

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री माता का नाम निवासी तहसील

यादी चौधरी/YADI CHOUDHARY 31001 ,रहकडा 12 रहकडा 12

जानसठ

म्जफफरनगर

उत्तर प्रदेश राज्य की जाट जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **यादी चौधरी/YADI CHOUDHARY** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक

जारी कर्ता केन्द्र: राज कुमार पाठक, वयम जन सेवा केंद्र SANJAY SANJAY SANJAY SINGH पद: राज कुमार पाठक, केन्द्र प्रभारी

स्थान : रहकदा १२,जानसठ,रहकडा 12,मोरना

12, जानसठ

दिनॉक: 27/07/2023

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित जानसठ, मुजफफरनगर दिनॉक: 27/07/2023

हस्ताक्षर एवं महर यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताझरित है। सम्बन्धित केन्द्र के वधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अकित कर सत्वापित किया जा सकता है।